संख्या-18/2026/001/38-6099(99)/8/2021

प्रेषक,

जयनाथ यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2026

विषय:- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डी०डी०यू०जी०के०वाई०)के अन्तर्गत अनुदान सं0- 81 में वित्तीय वर्ष 2026-27 में एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश धनराशि की मदर सैंशन के सापेक्ष संगत राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2558/2098/लेखा/डी०डी०यू०जी०के०वाई०/2026-27 दिनांक 31-07-2026 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-J-17036/57/2013-SGSY II (SP) Part-1(30) दिनांक 15-07-2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु डी०डी०यू०जी०के०वाई० के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश Mother Sanction की धनराशि द्वारा अनुदान सं0- 81 (अनुसूचित जनजाति मद) लेखाशीर्षक-2501-06-796-01-03 मानक मद-27 सब्सिडी अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश Mother Sanction की **धनराशि रू० 274.25 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 182.83 लाख इस प्रकार कुल रू० 457.08 लाख** (रू० चार करोड सत्तावन लाख आठ हजार मात्र) अवमुक्त किया जाना है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में डी०डी०यू०जी०के०वाई० (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 स्पर्श माडयूल के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.07.2026 द्वारा स्वीकृत मदर सैक्शन के सापेक्ष अनुदान सं0- 81 (अनुसूचित जन जाति मद) लेखाशीर्षक-2501-06-

796-01-03 मानक मद-27 सब्सिडी अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश Mother Sanction की धनराशि रू० 274.25 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 182.83 लाख इस प्रकार कुल रू० 457.08 लाख (रू० चार करोड सत्तावन लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।(9) धनराशि के आहरण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो|

(11) भारत सरकार के पत्र दिनांक-15.07.2026 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(12) एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति/क्रियान्वयन सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2025, 30 जनवरी, 2025, 10 जुलाई, 2025, 23 जुलाई, 2025, 26 सितम्बर,2025, 14 अक्टूबर, 2025, 10 दिसम्बर,2025 तथा 02 जनवरी, 2026 द्वारा निर्गत किये गये सुसंगत दिशा निर्देशों एवं तत्संबंधी अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/ 2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026,दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में यथावश्यक उ0प्र0 बजट मैन्यूअल के पैरा-94 की कार्यवाही आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,57,08,000 (रुपये चार करोड़ सत्तावन लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक** 2501067960103 पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-2-82-X-2026-27-दिनांक:17-8-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

जयनाथ यादव

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन),नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-8 /नियोजन अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जयनाथ यादव,
विशेष सचिव।

http://shasan

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।